

क्रेडिट गारंटी योजना - I (बैंकों के लिए)

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक और चुनिंदा वित्तीय संस्थान

परिपत्र सं.250/2024-25

महोदया/ प्रिय महोदय,

गारंटी कवरेज की सीमा को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया जाना

कृपया हमारे 31 मार्च 2023 के परिपत्र संख्या 220/2022-23 का संदर्भ लें जिसमें सीजीएस -1 के तहत कवरेज की अधिकतम सीमा 200 लाख रुपये से बढ़ाकर 500 लाख रुपये की गयी थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण के दौरान भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप, बैंकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना- I के अंतर्गत (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और चुनिंदा एफआई के लिए लागू) गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

वार्षिक गारंटी शुल्क की मानक दर निम्नानुसार होगी:

स्लैब (₹)	मानक दर % (वार्षिक गारंटी शुल्क)
5 करोड़ से अधिक 8 करोड़ तक	1.10
8 करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक	1.20

संशोधित दिशानिर्देश 01 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद स्वीकृत सभी गारंटियों पर लागू होंगे, जिसमें मौजूदा कवर किए गए खातों की कार्यशील पूंजी में वृद्धि भी शामिल है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि क्रेडिट गारंटी योजना के अन्य सभी अनुबंध यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को आपके सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ ।

भवदीय,

ह/-

(धीरज कुमार)

उप महाप्रबंधक

